राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर (राज.) दूरभाष न. 2722520

प्रेस नोट

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले 339 अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षाओं मे बैठने पर 3 वर्ष से आजीवन अवधि तक के लिए किया विवर्जित (डिबार)

1. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा विगत वर्षो में आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में असल अभ्यर्थियों के स्थान पर फर्जी अभ्यर्थी बैठाने वाले एंव परीक्षाओ में अनुचित साधनों को उपयोग करने वाले अन्य अभ्यर्थियों सहित कुल 339 अभ्यर्थियों के विरुद्व कठोर कार्यवाही करते हुए ऐसे अभ्यर्थियों आगामी परीक्षा में बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओ में सम्मिलित होने से आजीवन अवधि तक के लिए विवर्जित किया गया है। यह कार्यवाही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा बनाये गये विनियम "अनुचित साधनो की रोकथाम विनियम 2016" के अन्तर्गत की गई है।

2. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रणाली से प्रतियोगी परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए कटिबद्व है। अतः आगे भी ऐसी निरोधात्मक कार्यवाही जारी रहेगी। अभ्यर्थियों को भी सतर्क किया जाता है कि ऐसे किसी दलालों के भ्रामक प्रचार के बहकावे में नहीं आवे। अभ्यर्थियों को सावचेत किया जाता है कि नकल एवं प्रतिरुपण के प्रयास में पकडें जाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के साथ–साथ आपकी परीक्षा निरस्त होने एवं आगे आयोजित होने वाली बोर्ड की परीक्षाओं में रोक लगने से आपका कैरियर समाप्त हो सकता है।

3. "राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) संशोधन अधिनियम, 2022 एवं संशोधन अधिनियम 2023 के अन्तर्गत आर्थिक दंड के 10 लाख रुपये से लेकर 10 करोड़ रूपये के साथ– साथ दस वर्ष से आजीवन करावास तक की अवधि के लिए सजा का प्रावधान है।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संबन्ध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास नहीं करे। किसी प्रकार की सूचना हेतु बोर्ड के दूरभाष संख्या 0141–2722520 एवं बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में एवं बोर्ड की बैबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित सूचनाऐं एवं विज्ञप्ति द्वारा दी गई सूचना को अधिकृत माना जावें।

(मेजर जनरल आलोक राज)
अध्यक्ष,
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड,
जयपुर